27/7/2017 पत्रावली पेश हुई। गैर आयमान की ओर से
सुरक्षित रखा गया हुआ है सुनाया गया। पत्रावली का
अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है
कि पत्रावली में कड़ासु के मौजा लाउवा
रा०न० 612 रकबा 100 की कीमत किसी भूमि के
रास्ता पर सम्वत् 2014 में राम निवास काछराम
सुरक्षित रखा गया निवासी लाउवा
के विरुद्ध कोई अन्य रास्ते पर अतिक्रमण करने के
विरुद्ध रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर
सम्बन्ध में भी रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर
उप-खण्ड अधिकारी ने राजस्व के निर्णय
1956 की धारा 91 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी
गैर आयमान के विरुद्ध भी रिपोर्ट पेश कि
जिस पर उप-खण्ड अधिकारी ने राजस्व
अपील नियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत राजस्व
प्राधिकारी गैर आयमान को तलब किया गया
गैर आयमान व्यक्तिगत उपस्थित हुआ सुनाया गया
दिनांक 27/7/2017 को सुरक्षित रखा गया सुनाया गया
गैर आयमान द्वारा प्रस्तुत भूमि के रास्ता पर
अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी को चिन्हित किया
जाकर प्रस्तुत भूमि के रास्ता पर से किये
गये अतिक्रमण को मौके पर हटवाकर
करने एवं आरोपी के नाम का पंचायत रजिस्टर
जुर्माना राशि 3/- (तीन रुपये मात्र) कायम किये गये हैं
पंचायत समिति कड़ासु को भी मौके पर हटवाकर
राशि की वसूली हेतु लिखा जाकर पत्रावली
दाखिल कायमी हेतु पेश आरए को भेजी जाकर पत्रावली
के रिकार्ड सुधार करने का निर्णय आज
दिनांक 27/7/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार, रिया बड़ी
(दौसा - राजस्थान)